न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या 13/2019

श्री मेवा राम पुत्र श्री हरचन्द जाति गुर्जर, निवासी ग्राम घूघरा, तहसील व जिला अजमेर

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री भंवरलाल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम घूघरा तहसील व जिला अजमेर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत घूघरा पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर
3. ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत घूधरा पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर

.....गैर निगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय सरपंच, ग्राम पंचायत घूघरा दिनांक 13.10.2017

उपस्थित :–

1– श्री शौकिन्दलाल गुर्जर वकील निगरानीकर्ता की ओर से
2– श्री पी एस राजावत अप्रार्थी संख 1 की ओर से
3– श्री अमर सिंह राठौड़ अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से
4– श्री राजीव सक्सैना, अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि सरपंच ग्राम पंचायत घूघरा पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर श्री निवासी ग्राम माकड़वाली के पक्ष में दिनांक 13.10.2017 को आबादी भूमि पट्टा संख्या 34 बुक संख्या 29 क्षेत्रफल 57.37 वर्गगज जारी कर दिया। निगरानीकार ने ग्राम पंचायत, माकड़वाली द्वारा श्री रमेश चन्द पुत्र श्री भंवरलाल निवासी ग्राम घूधरा के पक्ष में जारी किए गये विवादित पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध मानते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रिकॉर्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अभिभाषक ने दिनांक 25.03.2021 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अप्रार्थी संख्या 1 को निर्माण कार्य से पाबन्द किये जाने बाबत प्रस्तुत किया। इस प्रार्थनापत्र पर दिनांक 25.03.2021 को उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत घूघरा पंस श्रीनगर द्वारा दिनांक 13.10.2017 को श्री रमेश पुत्र श्री भंवरलाल के पक्ष में जारी पट्टा बुक संख्या 29 पट्टा संख्या 34 में वर्णित भूखण्ड पर आगामी पेशी तक किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने के आदेश दिये गये।

बहस प्रारंभ होने पर वकील निगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करने हेतु अवगत कराया कि सरपंच ग्राम पंचायत घूघरा द्वारा जारी पट्टा बुक संख्या 29 पट्टा संख्या 34 दिनांक 13.10.2017 विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अप्रार्थी संख्या द्वारा पट्टा हेतु आवेदित भूखण्ड में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस तथ्य को छुपाया जाकर ग्राम पंचायत घूघरा से अकेले स्वयं के नाम पट्टा अर्जित कर लिया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 06.06. 2017 में मौका नक्शा दिनाक 23.05.2017 अंकित किया गया है जबकि नक्शा व मौका रिपोर्ट में दिनांक 25.03.2017 अंकित है। प्रार्थी को बिना तलब किये खानापूर्ति करते हुए अपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। प्रस्ताव संख्या 3 में दिनांक 11.07.2017 को आपत्ति नोटिस जारी किया जाना अवगत कराया है जबकि प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस प्राप्त नही हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका की जाँच किये बिना पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का भली भांति अवलोकन नहीं किया, आक्षेपित भूखण्ड के समस्त हितधारी की सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा आदेश 41 नियम 31 तथा आदेश 5 नियम 17 से 20 जाब्ता दीवानी की पालना किये बिना ही दस्तावेजी एवं विधिक प्रावधानों से बाहर जाकर आक्षेपित पट्टा जारी किया है जो कि उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में अवगत कराया कि प्रार्थी का उक्त आक्षेपित पट्टा भूखण्ड पर स्थित मकान में कभी भी 1/2 हिस्सा नहीं रहा, न ही उक्त सम्पत्ति प्रार्थी की पुश्तैनी सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति श्री हरलाल पुत्र गोदा जी की सम्पत्ति थी जो किअप्रार्थी के रिश्ते मे काका लगते है। तथा घूघरा में नोहरा सम्पत्ति थी, जिसे अपने जीवन काल में ही विक्रय कर दी थीं। अप्रार्थी के पिता ने उक्त सम्पत्ति क्रय कर अपने पुत्र अप्रार्थी को दे दी थीं। उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी का प्रारम्भ से ही पुश्तैनी कब्जा है। पट्टे वाली सम्पत्ति कभी भी प्रार्थी का कोई कब्जा एवं आधिपत्य नही रहा ना पूर्व में कभी रहा। प्रार्थी श्री हरचन्द्र का पुत्र है एवं हरलाल जी, हरचन्द के काका लगते थे। यदि वादग्रस्त सम्पत्ति प्रार्थी की पुश्तैनी सम्पत्ति होती तो सर्वप्रथम हरचन्द जी को आपत्ति का अधिकार होता जबकि स्वयं हरचन्द जी ने अप्रार्थी की पुश्तैनी सम्पत्ति होना स्वीकार किया है। पट्टा प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थी सख्या 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 02.07.2019 को उक्त सम्पत्ति श्री शंकरलाल गुर्जर पुत्र श्री सादुल गुर्जर निवासी ग्राम घूधरा को विक्रय कर दी है। सम्पत्ति क्रेता सम्पत्ति का पंजीकृत स्वामी है तथा वर्तमान में उसका ही कब्जा व आधिपत्य है। उक्त

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

तथ्य की जानकारी प्रारम्भ से ही प्रार्थी को होने के बावजूद भी क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी के पास उक्त विवादित सम्पत्ति के पुश्तैनी होने का कोई दस्तावेज भी नही है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी को निरस्त करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में अवगत कराया कि उनके द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया तथा पट्टा जारी करने से पूर्व सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी का उक्त आवासीय सम्पत्ति पर कभी भी भौतिक कब्जा नहीं था तथा आज भी भौतिक कब्जा नहीं है। उक्त आवासीय सम्पत्ति प्रार्थी की पुश्तैनी सम्पत्ति नहीं है अपितु अप्रार्थी संख्या 1 की पुरानी कब्जेशुदा सम्पत्ति है। प्रार्थी स्वयं इस तथ्य को ठोस साक्ष्य से सिद्ध करे कि उक्त सम्पत्ति उसकी पुश्तैनी सम्पत्ति है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी को निगरानी याचिका प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है तथा प्रार्थी की निगरानी याचिका खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आक्षेपीय पट्टा दिनांक 13.10.2017 को ग्राम पंचायत घूघरा द्वारा अप्रार्थी श्री रमेशचन्द पुत्र श्री भंवरलाल के पक्ष में जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा उक्त आक्षेपित पट्टा को निरस्त करने हेतु यह कथन किया है कि यह पटटा उनकी संयुक्त पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें उसका भी 1/2 हिस्सा है। किन्तु निगरानीकार द्वारा अपने दावे की पुष्टि हेतु किसी प्रकार का साक्ष्य या राजस्व रिकॉर्ड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि निगरानीकार के कथन की सत्यता की पुष्टि की जा सके। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा प्राप्ति के पश्चात दिनांक 02.07.2019 को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है। आक्षेपित पट्टा बाबत ग्राम पंचायत घूघरा द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत रूप से श्री घासी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है तथा हमें इसमें किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निगरानीकार श्री मेवाराम द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत ग्राम पंचायत घूघरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 34 बुक संख्या 29 को खारिज करने हेतु को निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर
अजमेर

ज्योति ककवानी
अपर कलक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते